न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 102/2019

उनवान

1. मालू पुत्र मुरली, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सबलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. गणेश पुत्र कानाराम
3. गोपाल पुत्र कानाराम
4. धोल्या पुत्र छोटू
5. सिणगारी पत्नी कल्याण
6. सीताराम पुत्र कानाराम
7. हनुमान पुत्र कानाराम
   समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सबलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 16.11.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम सबलपुरा, पटवार हल्का धिनोई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर साबिक खसरा नम्बर 4, 19, 20 जिनके हाल खसरा नम्बर 24/574 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/548 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/549 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29/535 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34/573 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 2.85 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमियों में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/4 भाग राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निहित है। उक्त भूमि वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.09 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित भूमियां के साबिक खसरा [illegible] 4, [illegible] 20 को वादी द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.03.1971 का खरीद की थी [illegible] विवादग्रस्त भूमि को खरीद करने के उपरान्त वादी के पक्ष मे विक्रय पत्र के आधार [illegible] नामान्तकरण संख्या 33 [illegible] 20.07.1974 को भरा जा चुका था। नामान्तकरण भरने के उपरान्त वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करते समय मालू पुत्र मुरली के बजाय भोलू पुत्र मुरली गलत

Scanned with CamScanner

रूप से दर्ज कर दिया गया जबकि विवादग्रस्त आराजीयात को वादी द्वारा जरिये विक्रय पत्र मालू पुत्र मुरली के नाम से खरीद किया गया था तथा खरीद करने के उपरान्त वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उपयोग उपभोग कर रहा है।

वादी को रूपयों की आवश्यकता होने पर वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क कर जमाबन्दी देने के लिए कहा जिस पर पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम उसकी खातेदारी भूमि में मालू पुत्र मुरली के बजाय भोलू पुत्र मुरली अंकित होना बताया जिस पर वादी द्वारा राजस्व जमाबन्दी में त्रुटिवश नाम के गलत हुए इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 08.07.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी का नाम राजस्व जमाबन्दी में दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम सबलपुरा, पटवार हल्का घिनोई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर साबिक खसरा नम्बर 4, 19, 20 जिनके हाल खसरा नम्बर 24/574 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/548 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/549 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.75 हैक्टेयर, ख्सरा नम्बर 28 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29/535 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34/573 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 2.85 हैक्टेयर में वादी का दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/4 भाग में वादी का नाम भोलू पुत्र मुरली के बजाय मालू पुत्र मुरली दर्ज की इन्द्राज दुरूस्त किया जायें जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट घिनोई में पेश हुई। वादी स्वयं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली कें संबध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम सबलपुरा के खाता संख्या 13 स्थित किता 7 रकबा 2.85 है0 की खातेदारी गणेश, गोपाल, सीताराम, हनुमान पिता कानाराम हिस्सा 1/4 छीतरमल, भगवान सहाय, मुकेश [illegible] हिस्सा 7/32 भोलूराम पुत्र मुरली हिस्सा 1/4 सिणगारी [illegible] पिता कैलाश हिस्सा 1/32 जाति बागड़ा ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खसरा नंबर किता 7 रकबा 2.85 है0 [illegible] खसरा नंबर 4, 19, 20 किता 3 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा से बने है। गत नामां0 33 दिनांक 12.10.77 विक्रेता नंदसिंह पुत्र बिशनसिंह द्वारा बेचान करने पर मालू पुत्र मुरली, धोल्या पुत्र छोटू हिस्सा 1/2 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.09 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बागडा ब्रा0 सा0 शेष बदस्तुर स्वीकार हुआ था। हाल जमाबंदी के खाता संख्या 13 में दर्ज भोलू पुत्र मुरली के बजाय मालू पुत्र मुरली शुद्ध किये जाने अभिशंषा की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी को सुना गया। जिससे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का कानूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम सबलपुरा, पटवार हल्का घिनोई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर साबिक खसरा नम्बर 4, 19, 20 जिनके हाल खसरा नम्बर 24/574 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/548 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/549 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29/535 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34/573 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 2.85 हैक्टेयर में वादी का दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/4 भाग में वादी का नाम भोलू पुत्र मुरली के बजाय मालू पुत्र मुरली दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.09 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner